पांचवीं अनुसूची

[धारा 69(1) देखिए]

क्रम सं0	**केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के संशोधित किए जाने वाले उपबंध**	**संशोधन**	**संशोधन के प्रभावी होने की तारीख**
(1)	(2)	(3)	(4)
	अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 298(अ), तारीख 31 मार्च, 2000 [27/2000-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 31 मार्च, 2000] द्वारा अंतःस्थापित किया गया केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का नियम 57कघ ।	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57कघ के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "(5) जहां 1 अप्रैल, 2000 को प्रारंभ होने वाली और 30 जून, 2001 को (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर प्रत्यय के समायोजन से संबंधित विवाद उस तारीख को जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, लंबित हैं, वहां उपनियम (1) और उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई विनिर्माता, ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित अंतःनिवेशों के सिवाय किन्हीं अंतःनिवेशों की बाबत केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का उपभोग करने वाला विनिर्माता और ऐसे अंतिम उत्पादों का, जो शुल्क के लिए प्रभार्य हैं तथा ऐसे अन्य अंतिम उत्पादों का भी, जो छूट प्राप्त माल हैं, विनिर्माण करने वाला विनिर्माता ऐसे छूट प्राप्त माल या शुल्क की कुछ नहीं दर से प्रभार्य माल के संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों के रूप में मान्य केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के बराबर रकम का, ऐसे माल की निकासी से पूर्व या पश्चात् संदाय करेगा : परंतु विनिर्माता माल की निकासी की तारीख से उक्त रकम के संदाय की तारीख तक चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का संदाय करेगा ।"।	1 अप्रैल, 2000 से 30 जून, 2001 (जिसमें दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) ।